141

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 696–पीबीआर/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–2–2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण कमांक 58/2005–06 अपील

1– सुक्कोवाई पत्नि रामप्रसाद
ग्राम इमलिया परासी
2– रूकमा वाई पत्नि हल्केराम
ग्राम परेना पाग तलाई तहसील बरेली
3– मीरावाई पत्नि भीकम सिंह
ग्राम थान्नेर तहसील व जिला विदिशा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– बीरेन्द्र सिंह 2– घनश्याम सिंह
दोनों पुत्रगण उमकार सिंह यादव
ग्राम सलईखेड़ी कृषक ग्राम थान्नौर
तहसील व जिला विदिशा ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 23 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 58/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–2–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम थान्नौर की भूमि सर्वे कमांक 751 एंव 818 कुल रकबा 4.667 हैक्टर पर

तहसीलदार विदिशा ने प्रकरण कमांक 15 अ -6 /2004-05 में पारित आदेश दिनांक 15-5-2005 से प्रथम सिविल जज वर्ग-2 के प्रकरण कमांक 149 ए/99 में हुये आदेशानुसार विकय पत्र के केताओं के स्थान पर पूर्व भूमिस्वामियों के नाम भूमि दर्ज कराने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 35/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-10-05 से अपील स्वीकार की गई तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-5-05 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 58/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-2-2006 से अपील निरस्त की गई तथा निर्णीत किया गया कि मान0उच्च न्यायालय से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश है इसलिये प्रथम सिविल जज वर्ग-2 के प्रकरण कमांक 149 ए/99 में हुये आदेशानुसार शासकीय अभिलेख में अमल नहीं किया जायेगा। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय व्दारा द्वित्तीय अपील कमांक 279/2005 में पारित आदेश दिनांक 9-1-2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत कर आदेश पारित करने का आग्रह किया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 58/2005-06

अपील में पारित आदेश दिनांक 25-2-2006 से निर्णीत किया है कि मान0उच्च न्यायालय से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश है इसलिये प्रथम सिविल जज वर्ग-2 के प्रकरण क्रमांक 149 ए/99 में हुये आदेशानुसार शासकीय अभिलेख में अमल नहीं किया जायेगा। अपर आयुक्त का निर्णय उचित प्रतीत होता है। जहॉ तक माननीय उच्च न्यायालय व्दारा द्वित्तीय अपील क्रमांक 279/2005 में पारित आदेश दिनांक 9-1-2008 अनुसार राजस्व मण्डल से अभिलेखीय अमल का आदेश दिये जाने की मांग का प्रश्न है ? किन्तु यह समाधान नहीं कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 9-1-2008 के विरूद्व मान0उच्च न्यायालय की युगल बैंच अथवा मान0 सर्वोच्य न्यायालय में किसी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है, जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 58/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-2-2006 में हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9-1-2008 का अमल तहसील न्यायालय में कराने हेतु आवेदकगण स्वतंत्र है क्योंकि व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 58/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-2-2006 यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर